न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/384

मांगी लाल आयु बालिग आत्मज श्री कल्याण जाति रेगर निवासी देवजी का बरडा बस स्टेण्ड हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. नारायण आयु 66 वर्ष आत्मज उद्दा जी जाति रेगर निवासी ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्याम लाल आयु 56 वर्ष आत्मज श्री उद्दा जाति रेगर निवासी ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रंगलाल आयु 53 वर्ष आत्मज श्री उद्दा जाति रेगर निवासी ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. गोपाल आुय 48 वर्ष आत्मज श्री उद्दा जाति रेगर निवासी ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. पुष्पा बाई आयु 68 वर्ष पुत्री श्री उद्दा जाति रेगर निवासी ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. भूरा आयु 88 वर्ष आत्मज श्री भैरू जाति रेगर निवासी ग्राम कराड खेडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 6/1. मांगीलाल आुय 30 वर्ष ।
   - 6/2. सूरजमल आयु 30 वर्ष पिसरान स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी कराडखेडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 6/3. नारायणी पुत्री भूरा पत्नी रूग्घा जाति रेगर निवासी ग्राम काछोला ।
   - 6/4. मांगी बाई पुत्री भूरा पत्नी पोखर जाति रेगर निवासी ग्राम सुखपुरा ।
   - 6/5. कल्याणी पुत्री भूरा पत्नी उद्दा लाल जाति रेगर निवासी काछोला ।
   - 6/6. मोत्या पुत्री भूरा पत्नी रामचन्द्र जाति रेगर निवासी सुखपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 6/7. सीता पुत्री भूरा पत्नी गोपाल जाति रेगर निवीास खांटी आंतरी थाने के पास हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 6/8. गोरा पत्नी भूरा जाति रेगर निवासी ग्राम कराड खेडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश चन्द गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कराडखेडी तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 06 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण कम 1 से 5 के नाम फूंदीबाई के साथ हिस्सा 1/2 खातेदार के रूप में दर्ज है एवं वादी कम 06 का नाम खातेदार के स्थान पर हिस्सा 1/2 दर्ज है । वादग्रस्त आराजी के वादी रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी के पीछे की ओर भूमि खसरा नम्बर 07/2 स्थित है जिसको प्रतिवादी काश्त करते है। प्रतिवादी ताकत के बल पर वादीगण की भूमि पर कब्जा कर अपनी भूमि को चौकोर रूप में करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 06 अथवा उसके भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे न ही अपने खेत में मिलाने का प्रयास करे । यदि दौराने वाद राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रकार से वादीगण की भूमि की स्थिति परिवर्तित कर भी जावे तो उसे मूल स्वरूप में बहाल करवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.05.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चतरगंज में राजस्व कैम्प आयोजित किये जाने की कोई सूचना नहीं दी और न ही राजस्व लोक अदालत के बाबत् कोई नोटिस अपीलान्ट को जारी किया । इस कारण अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सका था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट की अनुस्थिति में अपीलान्ट की साक्ष्य लिये बिना, तनकीयात कायम किये बिना ही पारित किया गया है इस कारण अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । अभिभाषक के परामर्श से रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया है । रिपोर्ट पटवारी दिनांक

26.05.2016 में अपीलान्ट का कब्जा होने पर भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई । दिनांक 27.05.2016 को अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सीपीसी के जवाब हेतु नियत थी किन्तु प्रतिवादी का जवाब बन्द कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त त्रुटियों को रिव्यू योग्य नहीं माना तथा अपील ही उपचार उपलब्ध माना है । ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध पेश किया था दावा पेश होने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से उनके अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 30 नियम 07 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके जवाब में पत्रावली लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत का कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया गया । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट के जवाब के अवसर को बन्द कर दावा वादी डिक्री किया है । अपीलान्ट के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2018 को खारिज किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट ने विलम्ब के शमन के लिए धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में दिनांक 27.05.2016 के निर्णय के खिलाफ अपील किया जाना अंकित किया है तथा अपील मीमो के बिन्दु संख्या 08 में रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज होने के उपरान्त दिनांक 04.04.2018 को आवेदन किया जाना और दिनांक 04.06.2018 को नकल प्राप्त करना अंकित किया गया है और आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नकल प्राप्त किये जाने की अवधि को मुजरा किये जाने के पश्चात् रिव्यू प्रार्थना पत्र को निर्णित करने में लगे समय को मुजरा कर अपील अन्तर्गत अवधि पेश किया जाना अंकित है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्त हैं । खातेदार कृषक के पक्ष में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिक्री किया है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने अपील दिनांक 28.03.2018 के निर्णय के खिलाफ पेश की है अथवा दिनांक 27.05.2016 के निर्णय के खिलाफ पेश की है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है और न ही यह बताया है कि कब से कब तक की अवधि के लिए विलम्ब का शमन कराना चाहते हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 बहाल रखा जावे । अपने पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संख्या 9488–9489/2019 University of Delhi Vs. Union of india & Ors. उद्धरत की ।

10. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि अपील मूल निर्णय दिनांक 27.05.2016 के खिलाफ पेश की गई है । अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सीपीसी की पालना किये बिना पारित किया गया है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब

को शमन किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 11, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 269 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा अपीलान्ट प्रतिवादी के खिलाफ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । आदेशिका दिनांक 04.01.2016 के अनुसार प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश किया था और एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 सीपीसी के तहत पेश किया । पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन उनका जवाब बन्द कर गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण डिक्री किया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादी वादी डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि अपील विलम्ब से पेश की गई है औरा विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपील दिनांक 27.05.2016 के निर्णय के खिलाफ दिनांक 06.06.2018 को पेश की गई है । अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है और यह कथन किया है कि पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सीपीसी के जवाब में लम्बित थी । अपीलान्ट को सूचना दिये बिना अपीलान्ट का जवाब बन्द कर दिया दावा वादी डिक्री किया है । अपीलान्ट के रिव्यू प्रार्थना पत्र को ही खारिज किया गया है । अतः विलम्ब को शमन किया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरित निर्णय पारित किया है जो अवैध है और अवैध निर्णय अपास्त करने के लिए समय सीमा गौण हो जाती है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना हम न्यायहित में उचित समझते हैं साथ ही प्ररकण को नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.2.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा